



दिनांक: 24-01-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में अपराध की रोकथाम हेतु गठित टीम द्वारा अभियुक्तगण **1. अरशद पुत्र असगर व 2. जावेद पुत्र युनुस नि0 गण मौ0 गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को किसी बात को लेकर मारपीट पर उतारू हो रहे थे, जिसमें शान्ति व्यवस्था भंग करने पर कुरेशियान चुंगी कस्बा गंगोह से अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अरशद पुत्र असगर नि0 मौ0 गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 35 वर्ष
2. जावेद पुत्र युनुस नि0 मौ0 गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. कां0 1606 दीपक थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक: 24.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अग्रेजी विहस्की चण्डीगढ मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब की तस्करि की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मण्डी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 24.01.2024 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली मण्डी क्षेत्र पुराने चिलकाने अड्डे की ओर से गोल कोठी के पास से 01 नशा तस्कर अभियुक्त शोएब पुत्र इन्तजार निवासी मौहल्ला काजीमल, गावं सुल्तानपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को 12 बोतल अग्रेजी विहस्की चण्डीगढ मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शोएब उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 20/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि मेरा गावं हरियाणा राज्य के बोर्डर पर है। मैं अपने शौक/जरूरतों को पूरा करने के लिये चण्डीगढ से सस्ती शराब खरीद कर ले आता हूँ और अपने आसपास व आने जाने वाले व्यक्तियों को ज्यादा पैसों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है। और उन पैसों से मैं अपने शौक पूरा कर लेता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. शोएब पुत्र इन्तजार ,निवासी मौहल्ला काजीमल, गावं सुल्तानपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

12 बोतल अग्रेजी विहस्की चण्डीगढ मार्का।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 198/2021 धारा 15/8 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 20 /24 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 प्रवेज कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. हे0का0 294 मौ० राशिद थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
3. है०का० 906 विपिन राठी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।



दिनांक: 24.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 44 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद

बरामदगी:-

- **44 लीटर कच्ची शराब**
- **02 प्लास्टिक की छोटी व बड़ी जरीकैन**
- **01 छोटा सिलेन्डर मय रेगूलेटर, पाईप व छोटा चूल्हा**
- **01 छोटा कटा हुआ टीन का छोटा ड्रम,**
- **01 मिट्टी की कटी हुई हांडी**
- **02 फुट प्लास्टिक का पाईप**
- **01 लोहे का तसला**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर **अभियुक्त विजय पुत्र भूप सिंह नि0 नंगला नसीराबाद थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** को 44 लीटर कच्ची शराब व दो प्लास्टिक की छोटी व बड़ी जरीकैन व शराब बनाने के उपकरण (एक सिलेन्डर छोटा मय रेगूलेटर, पाईप व छोटा चूल्हा, एक छोटा कटा हुआ टीन का छोटा ड्रम, मिट्टी की कटी हुई हांडी जिसमें मिट्टी की कपन में लगा करीब 2 फुट प्लास्टिक का पाईप, लोहे का तसला) सहित नंगला नसीराबाद धीरज सिंह के ईख खेत से गिरफ्तार किया गया। मौके पर 100 लीटर लाहन को नष्ट किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 14/24 धारा 60(2) आबकारी अधि0 बनाम विजय उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त विजय उपरोक्त ने पूछने पर बताया की मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तथा ज्यादा पैसा कमाने के लालच में शराब बनाकर अपने आस पास के लोगों को बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उन्ही पैसों से मैं अपने शौक पूरा कर लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. विजय पुत्र भूप सिंह नि0 नंगला नसीराबाद थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 503/07 धारा 376(3) /511 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 173/14 धारा 379/511 भादवि चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 61/23 धारा 63 आब0 अधिनियम चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 469/17 धारा 4/25 आम्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 450/21 धारा 63 आब0 अधिनियम चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 44 लीटर कच्ची शराब
- दो प्लास्टिक की छोटी व बड़ी जरीकैन
- शराब बनाने के उपकरण (एक सिलेन्डर छोटा मय रेगूलेटर, पाईप व छोटा चूल्हा, एक छोटा कटा हुआ टीन का छोटा ड्रम, मिट्टी की कटी हुई हांडी जिसमें मिट्टी की कपन में लगा करीब 2 फुट प्लास्टिक का पाईप, लोहे का तसला) बरामद

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सतेन्द्र शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 558 सन्दीप थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 559 सन्नी राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. है0का0 306 हरिओम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. है0का0 791 राजीव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक:- 24.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक नशा तस्कर अभियुक्त को 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **अभि० वसीम पुत्र वाजिद निवासी मौ० हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर जिला सहारनपुर** को 10 बोतल शराब हरियाणा मार्का सहित अम्बाला हाईवे गुरुद्वारा के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु०अ०स० 19/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वसीम पुत्र वाजिद निवासी मौ० हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त वसीम उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 241/19 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु०अ०स० 343/20 धारा 465/411 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु०अ०स० 344/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु०अ०स० 85/21 धारा 380/411 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
5. मु०अ०स० 100/21 धारा 380/411 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
6. मु०अ०स० 313/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
7. मु०अ०स० 334/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
8. मु०अ०स० 452/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० थाना सरसावा सहारनपुर
9. मु०अ०स० 128/22 धारा 60(1) आबकारी अधि० थाना सरसावा सहारनपुर
10. मु०अ०स० 371/22 धारा 3 यूपी गुन्डा एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
11. मु०अ०स० 70/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 251 विदोष थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2557 कृष्ण कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट

दिनांक: 24-01-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त वारण्टी नदीम पुत्र निसार अहमद निवासी आली की चुंगी साबिर वाली गली न0- 13 थाना मण्डी सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 1579/2021 अ0स0 363/21 धारा 8/21 NDPS ACT चालानी थाना मण्डी सहारनपुर मा0 न्यायालय अपर जिला एव सत्र न्यायधीश न0- 11 सहारनपुर में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. वारण्टी नदीम पुत्र निसार अहमद निवासी आली की चुंगी साबिर वाली गली न0- 13 थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 1531 विक्रान्त थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2318 सौरभ कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट

दिनांक: 24.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे में मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी गये मोबाइल फोन सहित 01 मोबाइल चोर/अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.01.2024 को वादी जाकिर हुसैन पुत्र मुनफैत अली निवासी अंजुम कालोनी थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पुत्र का मोबाइल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 379 भादवि के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व चोरी घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चोरी गये मोबाइल फोन सहित अभियुक्त फैजान पुत्र अब्दुल्ला उर्फ बाबू नि0 नूर बस्ती बडी मस्जिद वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर हाल निवासी शकील का मकान डिफेन्स कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त फैजान उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त फैजान ने पूछताछ पर बताया गया कि मैंने ग्राम रसूलपुर में स्थित होजरी की फैक्ट्री के बाहर बैठे व्यक्ति से अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर चोरी कर लिया था, जिसे आज मैं बेचने के लिये जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-अभियुक्त फैजान पुत्र अब्दुल्ला उर्फ बाबू नि0 नूर बस्ती बडी मस्जिद वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर हाल निवासी शकील का मकान डिफेन्स कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चोरी गया मोबाइल बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री दीपचन्द यादव थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. है0का0 839 कपिल राणा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. है0का0 843 विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 04 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान

बरामदा

अवगत कराना है कि दिनांक 23.01.2024 को वादी डा0 डैनी सक्सेना पुत्र श्री ए0पी0 सक्सेना निवासी न्यू भगत सिंह कॉलोनी थाना जनकपुरी सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर की छत से करीब 10-12 टोटी इस्तेमाली व अन्य सामान को चोरी किये जाने के सम्बन्ध में दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 14/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए उक्त घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.01.2024 को अभियुक्तगण 1. कार्तिक उर्फ प्रथम पंत पुत्र राहुल शर्मा निवासी म0न0 8/22 गली नं0 02 आवास विकास कालौनी थाना सदर बाजार सहारनपुर उम्र 20 वर्ष 2. सागर वाल्मिकी पुत्र सुरेश कुमार गली न0 5 फ्रैन्ड्स कालौनी मल्हीपुर रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर उम्र 23 वर्ष 3. नितिन पुत्र राजू जाटव म0न0 69 गली नं0 4 फ्रैन्ड्स कालौनी मलीपुर रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर उम्र 22 वर्ष 4. अर्जुन शर्मा पुत्र राजू शर्मा निवासी मलीपुर रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर उम्र 22 वर्ष को अभियुक्तगणों को थाना जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का सामान पानी की 06टोटी व एक पाईप व अन्य टोटी की प्लेटे तथा चोरी के दौरान प्रयुक्त की गयी मोटरसाईकिल यामाहा FZ रंग लाल रजि0 नं0 UK 07 FH 9750 बरामद की गयी। अभियुक्तगण के कब्जे से एक-एक नाजायज चाकू बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 14/24 में 411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. कार्तिक उर्फ प्रथम पंत पुत्र राहुल शर्मा निवासी म0न0 8/22 गली नं0 02 आवास विकास कालौनी थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. सागर पुत्र सुरेशपाल निवासी गली न0 5 फ्रैन्ड्स कालौनी मल्हीपुर रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. नितिन पुत्र राजू निवासी म0न0 69 गली नं0 4 फ्रैन्ड्स कालौनी मलीपुर रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. अर्जुन शर्मा पुत्र राजू शर्मा निवासी मल्हीपुर रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

- 06 टोटी
- 01 पाईप

➤ टॉटी की प्लेटे

➤ 04 नाजायज चाकू

➤ चोरी मे प्रयुक्त की गयी 01 मोटर साईकिल

अभियुक्त नितिन का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 255/22 धारा 414/465 भादवि थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 256/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 744/22 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सागर का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 501/20 धारा 63 आब0अधि0 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 502/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 537/21 धारा 120बी/414 भादवि थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र राणा, थाना जनकपुरी, स0पुरा
2. उ0नि0 श्री अशोक शर्मा, थाना जनकपुरी, स0पुरा
3. उ0नि0 श्री अशोक सिंह, थाना जनकपुरी, स0पुरा
4. है0का0 103 राजेन्द्र सिंह, थाना जनकपुरी, स0पुरा
5. है0का0 580 उस्मान अली, थाना जनकपुरी, स0पुरा
6. है0का0 217 ब्रजमोहन, थाना जनकपुरी, स0पुरा

-प्रेस विज्ञप्ति-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष एफ0टी0सी0 प्रथम जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई-

अवगत कराना है, कि दिनांक 20.04.2023 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त बलवीर सिंह पुत्र रतिराम निवासी ग्राम बालेली थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की बडी बहन के साथ गलत काम करने की कोशिश करना तथा वादिया को नशीली गोली खिलाकर गलत काम करना, विरोध करने पर मारपीट करना तथा अन्य के साथ भी गलत हरकत करने की सूचना पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 66/2023 धारा 376,328,323,354 भादवि के पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1634/2023 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष एफ0टी0सी0 प्रथम जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष एफ0टी0सी0 प्रथम जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 24.01.2024 को अभियुक्त बलवीर सिंह पुत्र रतिराम को मु0अ0सं0 66/2023 धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा धारा 376,328,323 भादवि में दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सतीश सैनी मो0न0 9412848472

विवेचक उ0नि0 श्री बलराम सिंह मो0न0 9758204525

पैरोकार का0 1360 रजनीष तोमर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मारपीट के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.01.2024 को वादी श्री रजत पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण द्वारा परिवारीजनों के साथ गाली गलौच करना तथा विरोध करने पर धारधार हथियार से हमला, मारपीट करना व जिससे परिवाजन गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 15/24 धारा 147/149/323/504/308 भादवि बनाम जसवंत पुत्र सुमेर चन्द आदि 05 अभियुक्तगण के पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मारपीट के मुकदमे मे नामजद/वांछित अभियुक्त **विमल पुत्र जसवंत निवासी ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को सीएचसी फतेहपुर भादों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. विमल पुत्र जसवंत निवासी ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र अधाना थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 1114 यतेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा SC/ST Act. के मुकदमे में आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.01.2024 को वादी श्री विशाल गौतम पुत्र जसवन्त निवासी ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण द्वारा वादी व वादी के पिता व भाई के साथ गाली गलौच कर मारपीट की एवं जान से मारने की नियत से हमला करना व जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 14/24 धारा 323/504/506/307 भादवि व 3(1)(द)(घ) व 3(2)(V) SC/ST Act. बनाम विनय पुत्र सोनू आदि 03 अभियुक्त के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा नामजद/वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.01.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा SC/ST Act. के मुकदमे में नामजद/वांछित अभियुक्त **विनय पुत्र सोनू निवासी ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को सीएचसी फतेहपुर भादों के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. विनय पुत्र सोनू निवासी ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र अधाना थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 1114 यतेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर